**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**
**11.02.2026 के**
**तारांकित प्रश्न सं. 178 का उत्तर**

**बारडोली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए रेल यात्री सुविधाएं**

***178. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या गुजरात के बारडोली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने, नई रेल सेवाएं शुरू करने और मौजूदा रेलगाड़ियों को ठहराव प्रदान करने के लिए कोई योजना/स्कीम प्रस्तावित हैं;**

**(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं/स्कीमों और अनुमानित लागत तथा उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और**

**(ग) उक्त क्षेत्र में रेल अवसंरचना के विकास के लिए सरकार द्वारा भविष्य में प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**
**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

*********

**दिनांक 11.02.2026 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 178 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।**

**(क) से (ग): यात्रियों की सुविधा और अनुभव बढ़ाने के लिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बारडोली निर्वाचन क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य शुरू किया गया है:**

- **बारडोली: प्लेटफॉर्म संख्या 1 को चौड़ा करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। स्टेशन भवन, प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय, शौचालय ब्लॉक, परिचलन क्षेत्र और 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल में सुधार संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।**

- **कोसंबा: कोसंबा जंक्शन के कार्य इस योजना के तहत पूरे किए जा चुके हैं। कोसंबा जंक्शन स्टेशन में पूरे किए गए विकास कार्यों में निम्नानुसार शामिल हैं:**
  - **स्टेशन भवन और प्रांगण का सुधार**
  - **प्लेटफॉर्म सं. 1 और 2 की ऊँचाई बढ़ाना और सतह में सुधार**
  - **प्रतीक्षालय, विश्राम कक्ष और सामान्य प्रतीक्षा क्षेत्र**
  - **बुकिंग कार्यालय का सुधार**
  - **प्रवेश द्वार और पार्किंग**

**वर्तमान में, बारडोली स्टेशन को निम्नलिखित 18 रेलगाड़ी सेवाओं द्वारा सेवित किया जा रहा है:**

| **क्र. सं.** | **रेलगाड़ी सं. और नाम** |
|---|---|
| **1** | **19021/19022 उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस** |
| **2** | **19003/19004 दादर-भुसावल खानदेश एक्सप्रेस** |
| **3** | **19005/19006 सूरत-भुसावल एक्सप्रेस** |
| **4** | **19007/19008 सूरत-भुसावल एक्सप्रेस** |
| **5** | **12833/12834 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस** |
| **6** | **19105/19106 उधना-भुसावल एक्सप्रेस** |
| **7** | **19425/19426 बोरीवली-नंदुरबार एक्सप्रेस** |
| **8** | **69169/69170 सूरत-नंदुरबार मेमू** |
| **9** | **69177/69178 उधना-नंदुरबार मेमू** |

बारडोली के यात्रियों की सुविधा के लिए, उपर्युक्त रेलगाड़ियों में रेलगाड़ी सं. 19021/19022 उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है, जिसे दिनांक 05.10.2025 से बारडोली में निर्धारित ठहराव के साथ शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, चूंकि रेल नेटवर्क संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के आरपार फैला होता है, इसलिए गाड़ियों को ऐसी सीमाओं के आरपार नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार परिचालित किया जाता है और ठहराव प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, भारतीय रेल में गाड़ी सेवाओं के ठहराव का प्रावधान यातायात के औचित्यों, परिचालनिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है जिसमें खंड पर अतिरिक्त समय की उपलब्धता और प्लेटफॉर्म की लंबाई जैसी उपयुक्त अवसंरचना की उपलब्धता शामिल है।

बारडोली स्टेशन उधना और जलगांव खंड के बीच दोहरी रेल लाइन के द्वारा मौजूदा रेल नेटवर्क से पहले से ही जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में संपर्कता को बेहतर बनाने के लिए, कोसंबा-उमरपाड़ा आमान परिवर्तन (70 किलोमीटर) कार्य को स्वीकृत किया गया है और इसका कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में और बेहतर संपर्कता के लिए, निम्नलिखित सर्वेक्षण कार्यों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए स्वीकृत किया गया है:

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | लंबाई (किलोमीटर में) |
|---|---|---|
| 1 | उधना-जलगांव मार्ग का चौहरीकरण | 304 |
| 2 | कोसंबा-उमरपाड़ा रेलोपरि रेल फ्लाईओवर | 09 |

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात, परियोजना को मंजूरी देने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य सरकारों से परामर्श और आवश्यक अनुमोदन अर्थात् नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि का मूल्यांकन आवश्यक है। चूंकि परियोजनाओं को मंजूरी देना एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए सटीक समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति अनेक मापदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्याशित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रथम और अंतिम स्थान रेल-संपर्क
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध कराना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा की गईं मांगें

- रेलवे की परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- धन की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भूमि अधिग्रहण
- वानिकी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध रूप में उनका कार्यान्वयन करना शामिल हैं। मास्टर प्लान बनाने में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रेलवे स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार
- रेलवे स्टेशन का शहर के दोनों तरफ के साथ एकीकरण
- रेलवे स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, वाटर-बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े ऊपरी पैदल पुल/एयर कॉन्कोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैम्प का प्रावधान
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/प्रावधान और प्लेटफ़ॉर्म पर कवर का प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमोडाल एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली

- **प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को देखते हुए एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि की व्यवस्था।**

**इस योजना में दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधानों; आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के लिए गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की संकल्पना भी की गई है।**

**अभी तक, इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है जिनमें से 87 स्टेशन, जिनमें बारडोली और कोसंबा जंक्शन स्टेशन बारडोली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं, गुजरात में स्थित हैं। गुजरात में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:**

| राज्य | स्टेशनों की संख्या | स्टेशनों के नाम |
|---|---|---|
| गुजरात | 87 | अहमदाबाद, आणंद, अंकलेश्वर, असरवा, बारडोली, भचाऊ, भक्तिनगर, भंवड़, भरूच, भतिया, भावनगर, भेस्तान, भीलडी, बिलिमोरा जंक्शन, बोटाद जंक्शन, चांदलोडिया, चोरवाड़ रोड, डभोई जंक्शन, दाहोद, डाकोर, देरोल, ध्रांगधरा, द्वारका, गांधीधाम, गोधरा जंक्शन, गोंडल, हापा, हिम्मतनगर, जाम जोधपुर, जाम वनथली, जामनगर, जूनागढ़ जंक्शन, कलोल जंक्शन, कनालुस जंक्शन, करमसद, केशोद, खंभालिया, किम, कोसंबा जंक्शन, लखतर, लिम्बडी, लिमखेड़ा, महेमदाबाद खेड़ा रोड, महेसाणा जंक्शन, महुवा, मणिनगर, मीठापुर, मियागाम कर्जन जंक्शन, मोरबी, नाडियाड जंक्शन, नवसारी, न्यू भुज, ओखा, पडधरी, पालनपुर जंक्शन, पालिताना, पाटन, पोरबंदर, प्रतापनगर, राजकोट जंक्शन, राजुला जंक्शन, साबरमती बड़ी लाइन, साबरमती मीटर लाइन, सचिन, समखियाली, संजन, सावरकुंडला, सायण, सिद्धपुर, सीहोर जंक्शन, सोमनाथ, सोनगढ़, सूरत, सुरेन्द्रनगर, थान, उधना, उदवाड़ा, उमरगांव रोड, ऊंझा, उतरन, वडोदरा, वापी, वटवा, वेरावल, वीरमगाम, विश्वामित्री जंक्शन, वांकानेर |

**अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गुजरात में रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं। अब तक, इस योजना के तहत गुजरात के 21 स्टेशनों (डाकोर, डेरोल, गोधरा जंक्शन, हापा, जाम जोधपुर, जाम वंथाली, कणालुस जंक्शन, करमसद, खंभालिया, कोसम्बा**

जंक्शन, लिम्बड़ी, महुवा, मीठापुर, मोरबी, ओखा, पलिटाना, पोरबंदर, राजुला जंक्शन, समखियाली, सिहोर जंक्शन, उतरन) के कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं और कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नलिखित है:

- लिमखेड़ा स्टेशन: नए स्टेशन भवन, मौजूदा स्टेशन भवन का सुधार, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2/3 की ऊँचाई बढ़ाना, प्लेटफॉर्म सतह में सुधार, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2/3 पर शौचालय ब्लॉक, परिचलन क्षेत्र और प्रवेश/निकासी द्वार का कार्य पूरा किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्रकाश व्यवस्था और 6 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू किया गया है।
- असारवा स्टेशन: नए स्टेशन भवन, प्रांगण, प्रतीक्षालय, शौचालय और बुकिंग काउंटर का कार्य पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग और दिव्यांगजनों हेतु सुविधाओं का कार्य शुरू किया गया है।
- सीहोर स्टेशन: प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, पहुंच मार्ग, संकेतकों और स्टेशन प्रकाश व्यवस्था का कार्य पूरा किया जा चुका है। 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षालय और पीने के पानी की सुविधाओं सहित इनका विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत और चलायमान प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य सापेक्ष प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकता के अनुसार शुरू किए जाते हैं। रेलवे स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य स्टेशन की कोटि/स्थिति/सम्हाले जाने वाले यातायात आदि के आधार पर किए जाते हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल स्वरूप का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग की स्वीकृति, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ एवं उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के नजदीक किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

इसके अलावा, अमृत भारत स्टेशन योजना सहित रेलवे स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण का वित्तपोषण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के

अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या रेलवे स्टेशन-वार या राज्य-वार। गुजरात राज्य दो रेलवे जोनों, नामतः उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन जोनों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2,081 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें से अब तक 1,629 करोड़ रुपए (दिसंबर 2025 तक) का व्यय उपगत किया जा चुका है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति अनेक मापदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्याशित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रथम और अंतिम स्थान रेल-संपर्क
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध कराना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगें
- रेलवे की परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- धन की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भूमि अधिग्रहण
- वानिकी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

****